माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नूतन प्रबोधक एवं संक्षिप्त विवेचन

02
अध्याय

और तब आकाश की ओर टकटकी लगाए मैंने महसूस किया कि एक नई दुनिया की खोज हुई है।''

–जॉन कीट्स की कविता
''ऑन फर्स्ट लुकिंग इन्टु चैपमैन्स होमर'' पर आधारित

सूचना के निक्षेपागार के रूप में माल तथा सेवा कर (जीएसटी) भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने की दिशा में एक आमूल परिवर्तन तथा विस्तार को साकार रूप प्रदान करता है। इस सूचना के प्रारंभिक विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इस कर व्यवस्था को लागू किये जाने के पश्चात अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; तथा अनेक करदाताओं ने स्वेच्छा से जीएसटी को अपनाया है जिनमें विशेष रूप से ऐसे लघु उद्यम शामिल हैं जो बड़े उद्यमों से क्रय करते हैं तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना चाहते हैं। राज्यों के बीच जीएसटी आधार का वितरण उनकी अर्थव्यवस्था के आकार से मजबूती से जुड़ा है जिससे प्रमुख उत्पादक राज्यों का यह डर समाप्त हो गया है कि नई प्रणाली को अपनाने से उनके कर संग्रहण में कमी आएगी। राज्यों द्वारा किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय निर्यात (भारत के इतिहास में पहली बार) से संबंधित नए आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि निर्यात आंकड़ों तथा राज्य के लोगों के जीवन स्तर के बीच एक मजबूत सहसंबंध विद्यमान है। भारत का निर्यात इस संदर्भ में असामान्य है कि अन्य तुलनीय देशों की तुलना में हमारे देश में सर्वाधिक बड़ी श्रेणी के प्रतिष्ठानों की निर्यात में भागीदारी काफी कम है। भारत का आंतरिक व्यापार जीडीपी का लगभग 60 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की समीक्षा में लगाए गए अनुमान से भी अधिक है तथा अन्य बड़े देशों के आंतरिक व्यापार को देखते हुए पर्याप्त अनुकूल है। भारत का औपचारिक क्षेत्र, विशेषकर औपचारिक रूप से कृषि से भिन्न क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों में पे रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या मौजूदा अनुमान की तुलना में पर्याप्त व्यापक है। सामाजिक सुरक्षा उपबंधों के संदर्भ में निर्धारित की गई औपचारिकताओं से यह अनुमान प्राप्त होता है कि औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी कृषि भिन्न क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों का लगभग 31 प्रतिशत है; औपचारिक क्षेत्र के जीएसटी के ढांचे में शामिल होने के संदर्भ में यह ज्ञात होता है कि इसमें औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे वैतनिक कर्मचारियों का हिस्सा 53 प्रतिशत है।

परिचय

2.1 केवल एक कारण से नीतिनिर्माता तथा अनुसंधानकर्ता उसी आश्चर्य की अनुभूति कर सकते हैं जिस आश्चर्य की अभिव्यक्ति कवि ने ग्रीक महाकाव्य को पढ़ने पर की थी जबकि उसने महसूस किया था कि एक नई दुनिया अचानक सबके सामने आ गई है। माल तथा सेवा कर (जीएसटी) सरकार द्वारा की गई एक ऐसी ही व्यापक व्यवस्था है। जीएसटी को अनेक कारणों से व्यापक जनसमर्थन मिला है जो विशेषकर एक भारतीय बाजार सृजित करने की इसकी क्षमता, कर आधार को विस्तार प्रदान करने तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में इसकी सक्षमता के कारण है। जीएसटी का एक अन्य लाभ अभी भी लोगों की नजर में नहीं आया है और वह यह है कि इससे सूचना का एक बड़ा निक्षेपागार सृजित होगा जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को समझने में हमारी सोच को विस्तार तथा निश्चित रूप से उसमें बदलाव आएगा।

2.2 जीएसटी से प्राप्त आंकड़ों से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ अधिक कठिन तथा बुनियादी तथ्यों को

समझने में मदद मिल सकती है। प्राप्त हुए कुछ रोमांचक नए निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है; अनेक करदाताओं ने जीएसटी को स्वेच्छा से अपनाया है जिनमें विशेष रूप से ऐसे लघु उद्यम शामिल हैं जो बड़े उद्यमों से क्रय करते हैं तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना चाहते हैं।
- राज्यों के बीच जीएसटी आधार का संवितरण उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से मजबूती से जुड़ा है जिससे प्रमुख उत्पादकों का यह डर समाप्त हो गया है कि नई प्रणाली को अपनाने से उनके कर संग्रहण में कमी आएगी;
- राज्यों के द्वारा किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय निर्यात से संबंधित नए आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि निर्यात आंकड़ों तथा राज्य के लोगों के जीवन स्तर के बीच एक मजबूत सहसंबंध विद्यमान है;
- भारत का निर्यात इस संदर्भ में असामान्य है कि अन्य तुलनीय देशों की तुलना में हमारे देश में सर्वाधिक बड़ी श्रेणी के प्रतिष्ठानों की निर्यात में भागीदारी काफी कम है।
- आंतरिक व्यापार जीडीपी का लगभग 60 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की समीक्षा में लगाए गए अनुमान से भी अधिक है तथा अन्य बड़े देशों के आंतरिक व्यापार को देखते हुए पर्याप्त अनुकूल है।
- भारत में, विशेषकर औपचारिक रूप से कृषि से भिन्न क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों में पेरोल पर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या मौजूदा अनुमान की तुलना में पर्याप्त व्यापक है। सामाजिक सुरक्षा उपबंधों के संदर्भ में निर्धारित की गई औपचारिकताओं से यह अनुमान प्राप्त होता है कि औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी कृषि भिन्न क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों का लगभग 31 प्रतिशत हैं; औपचारिक क्षेत्र का जीएसटी के ढांचे में शामिल होने के संदर्भ में यह ज्ञात होता है कि औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों का इसमें योगदान 53 प्रतिशत है।
- इसी प्रकार, औपचारिक क्षेत्र का आकार (यहां या तो सामाजिक सुरक्षा या जीएसटी नेट में शामिल के रूप में परिभाषित) निजी गैर-कृषि क्षेत्र में कुल फर्मों की संख्या का 13 प्रतिशत किंतु उनके कुल टर्न ओवर का 93 प्रतिशत है।

2.3 इन निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की जा रही है।

करदाता

2.4 सारणी 1 में यह दर्शाया गया है कि दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार जीएसटी में 9.8 मिलियन नाम[1] पंजीकृत थे जिनकी संख्या पुरानी प्रणाली के तहत पंजीकृत कुल अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या से मामूली अधिक है। किंतु ये दोनों आंकड़े तुलनीय नहीं हैं: पुरानी प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत करदाता इस संदर्भ में एकसमान नहीं थे कि वे अनेक करों के तहत पंजीकृत करदाता थे। करदाताओं के दो और तीन बार गिने गए आधार को समायोजित करते हुए जीएसटी ने अद्वितीय अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है जो कुल मिलाकर 3.4 मिलियन है।

सारणी 1: पंजीकृत अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या, जीएसटी लागू होने से पहले तथा बाद में मिलियन में

	जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाता				जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाता पूर्व में किस श्रेणी के तहत थे			जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं की श्रेणी	
	कुल	नए	पुराने	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	वीएटी	नए	संरचना	नियमित
अखिल भारत	9.8	3.4	6.4	.01	.60	5.8	3.4	1.6	8.2

टिप्पणी: यदि कोई कंपनी विभिन्न राज्यों में प्रचालन करती हो तो वह एक से अधिक बार पंजीकृत हो सकती है।
स्रोत: आर्थिक समीक्षा में किए गए परिकलन जीएसटी आंकड़ों पर आधारित है।

सारणी 2: अनुमानित टर्न ओवर तथा जीएसटी के अंतर्गत नए पंजीयकों की किस्म

	बी$_2$बी	बी$_2$सी	निर्यात	शून्य	कुल
विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत टर्नओवर की हिस्सेदार	34.0%	16.8%	29.8%	19.4%	100.0%

टिप्पणी: शून्य श्रेणी में वे आपूर्तियां शामिल हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं जैसेकि पेट्रोलियम, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विद्युत।
स्रोत: आर्थिक समीक्षा के परिकलन जीएसटी आंकड़ों पर आधारित हैं।

1. इसका अर्थ स्थूल रूप में प्रति उद्यम निकाय के संदर्भ में 9.3 मिलियन अद्वितीय कारपोरेट कंपनियां हैं क्योंकि किसी एक निकाय का विभिन्न राज्यों में एकाधिक पंजीकरण हो सकता है।
2. लगभग 2.4 मिलियन सेवा कर के अंतर्गत तथा 0.4 मिलियन उत्पाद कर के अंतर्गत (ये दोनों कर केंन्द्र द्वारा उगाहे जाते हैं) तथा 6.4 मिलियन मूल्यवर्द्धित कर (वैट, राज्यों द्वारा उगाहे गए)

2.5 नए शामिल किए गए करदाताओं का प्रोफाइल काफी रोचक है उनके कुल टर्न ओवर में से व्यवसाय से उपभोक्ता (बी$_2$सी) व्यापार कुल का केवल 17 प्रतिशत है। अधिकांश व्यापार व्यवसाय से व्यवसाय के बीच (बी$_2$बी) तथा निर्यात से संबंधित है जो अकेले लगभग 30-34 प्रतिशत है (सारणी 2)।

2.6 जीएसटी के अनेक लाभों में से एक लाभ यह है कि इसका स्वैच्छिक अनुपालन किया जाता है। कुछ आंकड़े इस परिघटना को स्पष्ट करते हैं। ऐसे लगभग 1.7 मिलियन पंजीयक हैं जिनकी आय कर हेतु निर्धारित सीमा से कम है। अत: उनके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है, तो भी वे पंजीकरण कराते हैं। वास्तव में अनुमानित कुल 71 मिलियन कृषि भिन्न उद्यमों में से हमारा अनुमान है कि लगभग 13 प्रतिशत जीएसटी में पंजीकृत है।

2.7 इसके अतिरिक्त, लगभग 1.6 मिलियन करदाता (कुल का 17 प्रतिशत) मिश्रित स्कीम के तहत पंजीकृत हैं जिनके लिए मौजूदा सीमा 1.5 करोड़ रु. निर्धारित की गई है। वे अपने टर्नओवर पर कम कर (1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत या 5 प्रतिशत) का भुगतान करते हैं तथा वे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र नहीं हैं। यह व्यवस्था उनके प्रशासनिक बोझ को कम करती है किंतु इससे उन्हें बड़े प्रतिष्ठानों को बिक्री करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिससे ऐसी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बचत नहीं की जा सकती है। इस कारण, लगभग 1.9 मिलियन पंजीयक (कुल नियमित पंजीयकों का 23 प्रतिशत) जीएसटी की 20 लाख रुपये की सीमा तथा संयोजन सीमा के बीच रह गए तथा जो संयोजन स्कीम के लिए विकल्प दे सकते थे उन्होंने ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना तथा बजाय इसके उन्होंने नियमित जीएसटी के अंतर्गत स्वयं को दर्ज कराने का निर्णय लिया। दूसरे शब्दों में संयोजन स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पात्र करदाताओं के 54.3 प्रतिशत [1.9/(1.9+1.6)] से भी अधिक ने नियमित पंजीयक होने के बजाय संयोजन स्कीम में शामिल होने का विकल्प चुना। ऐसा क्यों हुआ, इस संबंध में खंड 4 एवं अनुबंध I में विस्तृत चर्चा की गई है।

2.8 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्य हैं जिनमें जीएसटी के तहत पंजीयकों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कर पंजीयकों की संख्या में पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

कर आधार तथा इसका स्थानिक वितरण

2.9 जीएसटी के संबंध में अधिकांश विचार-विमर्श कर आधार के आकार तथा राजस्व निष्प्रभावीकरण दर (आरएनआर)[5] पर पड़ने वाले प्रभावों पर केंद्रित थे। आरएनआर समिति ने 68.8 लाख करोड़ रुपये आधार का अनुमान लगाया था तथा जीएसटी परिषद् ने 65.8 लाख करोड़ रुपये[6] आधार होने का अनुमान लगाया था।

2.10 मौजूदा आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि जीएसटी कर आधार (निर्यात छोड़कर) 65-70 लाख करोड़ रुपये है जो इन दो पूर्ववर्ती अनुमानों के काफी हद तक समान है। आरंभिक कुछ महीनों के दौरान किए गए औसत संग्रहण के आधार पर भारित औसत संग्रहण दर (कर भार) लगभग 15.6 प्रतिशत है। अत: जैसाकि आरएनआर समिति द्वारा अनुमान लगाया गया है, राजस्व संग्रहण को निष्प्रभावित बनाए रखने वाली दर 15 से 16 प्रतिशत के बीच होगी।

2.11 जीएसटी को लागू करने से ठीक पहले की अवधि के दौरान विनिर्माणकारी कार्यों में जुड़े राज्यों को इस बात की चिंता थी कि लक्ष्य तथा खपत आधारित कर व्यवस्था में शामिल होने से खपत करने वाले राज्यों की ओर कर आधार खिसक जाएगा। क्या ऐसा हुआ है?

चित्र 1: कर आधार का राज्यवार वितरण

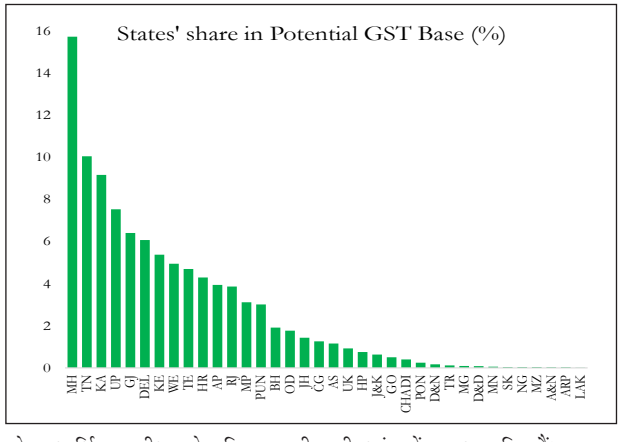

स्रोत: आर्थिक समीक्षा के परिकलन जीएसटी आंकड़ों पर आधारित हैं।

2.12 चित्र 1 में कुल जीएसटी आधार में राज्यवार हिस्सेदारी को दर्शाया गया है। इस संबंध में शीर्षस्थ राज्यों में महाराष्ट्र (16 प्रतिशत), तमिलनाडु (10 प्रतिशत), कर्नाटक (9 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (7 प्रतिशत) तथा गुजरात

---

3. इस अनुमान पर बाद में भारत में अनौपचारिकता विषय पर खंड 7 में तथा अनुबंध II में चर्चा की गई है।
4. संयोजन स्कीम के लिए टर्नओवर सीमा 1 करोड़ रुपये से 1.2 करोड़ रुपये (अक्तूबर 2017 में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में) से बदलकर 1.5 करोड़ रुपये (नवम्बर 2017 में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में) कर दी गई है। विभिन्न महीनों के संदर्भ में निरंतरता बनाए रखने के लिए 1 करोड़ रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को संयोजन स्कीम के अंतर्गत रखा गया है।
5. माल तथा सेवा (जीएसटी) के लिए राजस्व निष्प्रभावीकरण दर तथा दरों की संरचना से संबंधित रिपोर्ट भारत सरकार को 4 दिसंबर 2015 को सौंप दी गई थी जो बेवसाइट http//www.gstcouncil.in/sites/default/files/CEA-rpt-rnr.pdf पर उपलब्ध है।
6. आरएनआर समिति तथा जीएसटी परिषद दोनों ने वर्ष 2013-14 के लिए जीएसटी आधार का अनुमान लगाया था। 2017-18 के लिए आंकड़े 2013-14 के बाद से जीडीपी में हुई मामूली वृद्धि के अनुसार अद्यतन किए गए हैं।

(6 प्रतिशत) हैं। चित्र 2 में यह दर्शाया गया है कि जीएसटी आधार में सभी राज्यों की हिस्सेदारी लगभग काफी हद तक सही रूप में सह-संबंधित (0.95 का गुणांक) है जो समग्र जीएसडीपी में इसकी हिस्सेदारी की तुलना में इसके पूर्णत: सह संबंधित होने को दर्शाता है। अत: सबसे बड़े कर आधार के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की कंपनी सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में ही रह सकती है।

2.13 एक रोचक प्रश्न यह है कि क्या जीएसटी का कर आधार सेवा[7] सहित विनिर्माण या समग्र जीडीपी से सह-संबंधित है। चित्र 2 और 3 में सबसे बड़े राज्यों के लिए जीएसटी आधार तथा राष्ट्रीय जीडीपी एवं कुल विनिर्माण जीवीए में इसकी हिस्सेदारी को दर्शाया गया है।

2.14 यह सत्य है कि जीएसटी के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात के कर आधार की हिस्सेदारी विनिर्माण के क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी से कम है (चित्र 3 में वे 45 डिग्री लाईन की रेखा की दाहिनी ओर है) किंतु चूंकि ये राज्य सेवा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, अत: कर आधार जीएसडीपी में उनकी हिस्सेदारी के अनुरूप है। कुल मिलाकर, इस आंकड़े से जीएसटी के परिणामों में पारदर्शिता तथा सामंजस्य की स्थिति ज्ञात होती है।

फर्मों के पारस्परिक लेनदेनों के वितरण का आकार

2.15 नीति-निर्धारण विशेषकर अनुपालन की पद्धतियों को तैयार करने के लिए फर्मों के बीच लेनदेनों की प्रकृति को

चित्र 2: जीएसटी आधार और जीएसडीपी में हिस्सेदारी

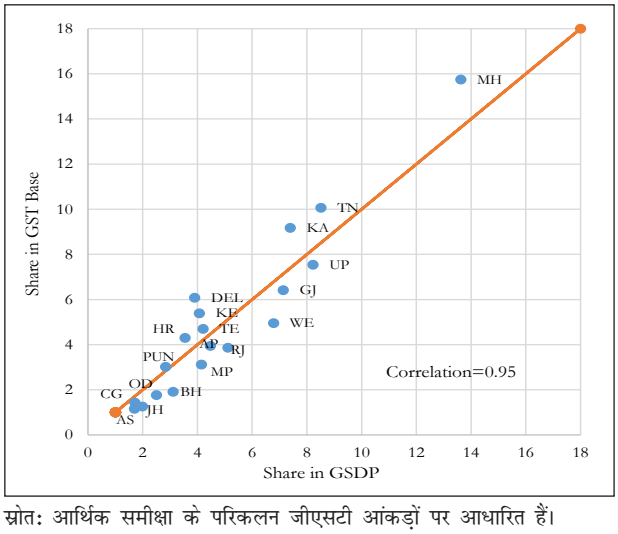

स्रोत: आर्थिक समीक्षा के परिकलन जीएसटी आंकड़ों पर आधारित हैं।

चित्र 3: जीएसटी आधार और विनिर्माण क्षेत्र में जीडीपी में हिस्सेदारी

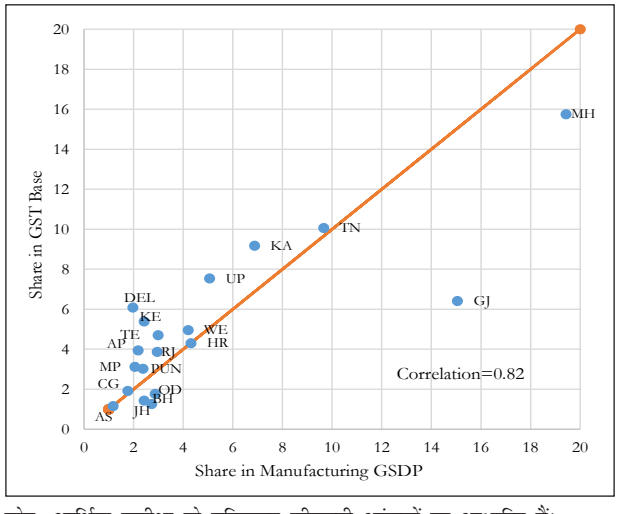

स्रोत: आर्थिक समीक्षा के परिकलन जीएसटी आंकड़ों पर आधारित हैं।

सारणी 3: लेनदेन के प्रकार एवं कारोबार समूह के अनुसार मासिक कारोबार वितरण

	लेन देन का प्रकार					विवरणी दर्ज करने वालों का हिस्सा	कर देयता में हिस्सा
	बी$_2$बी	बी$_2$सी	निर्यात	शून्य[8]	कुल		
कर देयता में हिस्सा न्यूनतम सीमा से नीचे	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.4%	32.2%	0.9%
विन्यास	1.2%	1.1%	0.0%	0.1%	2.4%	36.0%	4.4%
लघु और सूक्ष्म उद्यम	3.8%	2.3%	0.1%	0.5%	6.8%	22.0%	10.5%
मध्यम	15.5%	4.3%	1.5%	2.8%	24.1%	9.2%	29.8%
बड़ी फर्में	36.5%	4.9%	7.7%	17.1%	66.2%	0.6%	54.4%
कुल	**57.3%**	**12.8%**	**9.4%**	**20.5%**	**100.0%**	**100%**	**100%**

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण के आकलन जीएसटी के आंकड़ों पर आधारित हैं।

7. हम कर आधार को राज्यों की खपत से सह-संबंधित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उपलब्ध हालिया आंकड़े वर्ष 2011-12 से संबंधित हैं और साथ ही सम्पन्न परिवारों द्वारा खपत के संबंध में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिसका परिमाण तथा राज्यवार वितरण पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा।

8 इस श्रेणी में फर्मों द्वारा बताए गए उन लेन-देनों को शामिल किया गया है जो जीएसटी का हिस्सा नहीं हैं, उदाहरण के लिए पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्रियां और क्रय।

जानना अति महत्वपूर्ण है। सारणी 3 और 4 में इसका विवरण दिया गया है।

2.16 सारणी 3 में फर्म आकार के अनुसार फर्म के लेन-देन का प्रकार दर्शाया गया है। हम फर्मो को उनके वार्षिक का. रोबार के आधार पर पांच श्रेणियों में रखते हैं:

- न्यूनतम सीमा से नीचे, ₹ 20 लाख से कम;
- विन्यास (कंपोजीशन) सीमा से नीचे, ₹ 20-100 लाख (विन्यास स्कीम की वर्तमान ऊपरी सीमा ₹ 150 लाख है);
- लघु और सूक्ष्म उद्यम (एसएमई), ₹ 1-5 करोड;
- मध्यम ₹ 5-100 करोड़ एवं
- ₹ 100 करोड़ से अधिक कारोबार करने वाली बड़ी फर्में

2.17 हम इन्हें उद्यमों की संख्या और इनके कारोबार, दोनों के अनुसार प्रदर्शित करते हैं।

2.18 इसमें आश्चर्य नहीं कि कारोबार के वितरण के आंकड़ों को काफी तोड़ मरोड़ कर प्रदर्शित किया गया है। न्यूनतम सीमा से नीचे की पंजीकृत फर्में संख्या में कुल फर्मों[9] की 32% हैं परंतु कुल कारोबार में इनकी भागीदारी 1 प्रतिशत से कम है, जबकि बड़ी फर्में 1 प्रतिशत से भी कम हैं, फिर भी इनकी भागीदारी कारोबार का 66 प्रतिशत है और इनकी कुल कर देयता 54% है।

2.19 छोटी पंजीकृत फर्में (प्रथम तीन श्रेणियां) उपभोक्ताओं को बेचने (बी2सी) और अन्य फर्मों (बी2बी) को बेचने में बराबर रूप से शामिल हुई लगती हैं। इसके विपरीत मध्यम और बड़ी फर्मों की बी2सी लेनदेनों की तुलना में बी2बी लेनदेनों में अधिक संलिप्तता रही है।

2.20 जीएसटी लागू किए जाने से पहले, यह आशा की जाती थी कि छोटे डीलर जो सीधे उपभोक्ताओं को अपना सामान बेचते हैं, वे विन्यास (कम्पोजीशन) स्कीम को चुनेंगे जबकि जो बड़ी कंपनियों को अपना सामान बेचते हैं वे नियमित पंजीकरण का चयन करेंगे या इसमें शामिल होने के लिए मज़बूर होंगे क्योंकि क्रेता फर्में तब तक नहीं खरीदेंगी जब तक कि वे निर्विष्टि कर-क्रेडिट नहीं प्राप्त कर लेती।

2.21 इससे यह सिद्ध होता है कि न्यूनतम सीमा से नीचे की फर्में जो फिर भी स्वैच्छिक रूप से अनुपालन करने की इच्छुक हैं, उनके लगभग आधे लेन-देन वास्तव में बी2सी की श्रेणी में आते हैं। इससे यह पता चलता है कि वास्तव में, बड़ी कंपनियों में आपूर्तिकर्ता होने मात्र के अतिरिक्त भागीदारी के लिए प्रेरणा के और भी स्रोत हैं।

2.22 सारणी 4 से यह साक्ष्य मिलता है कि छोटी बी2सी फर्में जीएसटी का हिस्सा इसलिए बनना चाहती हैं क्योंकि वे बड़े उद्यमों से खरीदती हैं। वस्तुत: इनकी 68% खरीदें (1.7/2.5, प्रथम स्तंभ से) मध्यम और बड़े पंजीकृत उद्यमों से हैं, जो उन्हें पंजीकरण के लिए एक सुदृढ़

सारणी 4: कारोबार समूह के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता और क्रेता की मिश्रित-सारणी

		क्रेता के कारोबार वाली श्रेणी					
		न्यूनतम सीमा	न्यूनतम सीमा विन्यास	एसएमई	मध्यम फर्में	बड़ी फर्में	कुल
आपूर्तिकर्ता के कारोबार वाली श्रेणी	न्यूनतम सीमा	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	**0.3%**
	विन्यास से नीच	0.2%	0.4%	0.5%	0.6%	0.4%	**2.2%**
	लघु और सूक्ष्म उद्यम	0.5%	1.0%	1.6%	2.2%	1.3%	**6.7%**
	मध्यम	1.0%	2.0%	4.8%	10.9%	8.3%	**27.0%**
	बड़ी फर्में	0.7%	1.1%	4.1%	17.3%	40.6%	**63.8%**
	कुल	**2.5%**	**4.6%**	**11.1%**	**31.1%**	**50.7%**	**100.0%**

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण के आकलन जीएसटी के आंकड़ों पर आधारित हैं।

[9] वे फर्में जिन्होंने पहले 5 माह के गैर-शून्य जीएसटीआर 3बी विवरणियां दायर की।

प्रोत्साहन प्रदान करता है, ताकि वे इन खरीदों पर निर्विष्टि कर-क्रेडिट सुनिश्चित कर सकें।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतर-राज्य व्यापार और आर्थिक समृद्धि

2.23 विगत वर्ष की आर्थिक समीक्षा से कर आंकड़ों पर आधारित भारत में अंतर-राज्य व्यापार के आंकड़ों के प्रथम अनुमान प्राप्त होते हैं। इन अनुमानों को जीएसटी से पहले की व्यवस्था के अंतर्गत अंतर-राज्य करों (केंद्रीय बिक्रीकर) के भुगतानों से अलग किया जाना था। इस वर्ष जीएसटी विवरणियों से हमें अंतर-राज्य व्यापार और इसके अनेक संबंधित आयामों पर प्रत्यक्ष आंकड़े मिले हैं।

2.24 और भी उत्साहजनक बात यह है कि भारत के इतिहास में पहली बार हम माल और सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय निर्यातों के राज्य-वार वितरण के बारे में जान पाए हैं। सारणी 5 में ये आंकड़े दिए गए हैं। पांच राज्य-महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना इस क्रम में भारत के कुल निर्यातों में 70% के भागीदार हैं।

सारणी 5: राज्यों का सकल और निवल अंतर-राज्य व्यापार

राज्य	% हिस्सा	संचयी
महाराष्ट्र	22.3%	22.3%
गुजरात	17.2%	39.5%
कर्नाटक	12.7%	52.3%
तमिलनाडु	11.5%	63.8%
तेलंगाना	6.4%	70.1%
हरियाणा	4.9%	75.0%
उत्तर प्रदेश	4.8%	79.8%
पश्चिम बंगाल	3.2%	83.0%
आंध्र प्रदेश	2.8%	85.8%
ओडिशा	2.0%	87.8%
दिल्ली	1.9%	89.7%
राजस्थान	1.8%	91.5%
केरल	1.7%	93.2%
पंजाब	1.7%	94.8%
मध्य प्रदेश	1.3%	96.1%
गोआ	0.9%	97.0%

नोट: गैर-जीएसटी निर्यातों को छोड़कर माल और सेवाओं का निर्यात।
स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण के आकलन जीएसटी के आंकड़ों पर आधारित हैं।

2.25 इन आंकड़ों के प्रथम बार प्राप्त होते ही, तुरंत इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है कि क्या समृद्धि का सीधा संबंध निर्यात निष्पादन से है। चित्र 4 में यह दर्शाया गया है कि यह पारंपरिक बोध सही है: किसी राज्य का प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी काफी हद तक जीएसडीपी में इसके निर्यात हिस्से (20 बड़े राज्यों के लिए)[10] से जुड़ा है। चार्ट में बिल्कुल अलग राज्य केरल है, परंतु यह इसलिए कि यह विप्रेषित धन का बड़ा प्राप्तकर्त्ता राज्य है। यदि हम

चित्र 4: अंतरराष्ट्रीय निर्यात और राज्यों की समृद्धि

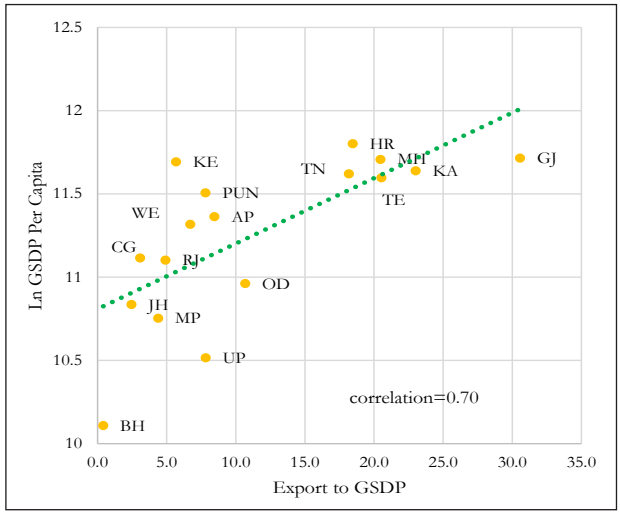

स्रोत: आर्थिक समीक्षा के परिकलन जीएसटी आंकड़ों पर आधारित हैं।

विप्रेषित धन राशियों को जोड़ें और राज्यों के लिए एक व्यापक वैश्विकरण सूचकांक बनाएं तो केरल की स्थिति भिन्न न होती।

2.26 पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा में हमने अनुमान लगाया था कि माल में भारत का आंतरिक व्यापार जीडीपी का 30 से 50 प्रतिशत के बीच था, जोकि अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। जीएसटी आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत का माल और सेवाओं में (गैर-जीएसटी माल और सेवाओं को छोड़कर) आंतरिक व्यापार वास्तव में और अधिक है जोकि जीडीपी का लगभग 60% है।

2.27 सारणी 6 में अंतर-राज्य व्यापार के आंकड़े दिए गए है।

- पांच सर्वाधिक बड़े निर्यातक राज्य हैं: महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक;

[10] जब सभी राज्यों में विस्तार किया जाता है तो कथानक काफी कुछ एक जैसा ही है।

- पांच सर्वाधिक बड़े आयातक राज्य हैं: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात;
- सर्वाधिक आंतरिक व्यापार आधिक्य वाले राज्य हैं: गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तरांचल और तमिलाडु

2.28 यहां दो दिलचस्प प्रश्न उठते हैं। प्रथम, क्या जो राज्य सर्वाधिक निर्यात करते हैं वही राज्य आयात भी सर्वाधिक करते हैं? सापेक्ष रूप से, क्या जो राज्य सर्वाधिक व्यापार करते हैं, वे सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी भी हैं और व्यापार का सर्वाधिक अधिशेष भी अर्जित करते हैं? चित्र 5 और 6 से पता चलता है कि इनके उत्तर हां में हैं।

2.29 हम यह भी पूछ सकते हैं कि क्या आंतरिक व्यापार समृद्धि से जुड़ा हुआ है। यहां चित्र 7 में राज्यों की जीएसडीपी में इसकी प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के सापेक्ष व्यापार का हिस्सा (निर्यात जमा आयात) दर्शाया गया है। यहां चित्र 4 और 7 के बीच दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। अंतरराष्ट्रीय निर्यातों के साथ प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का संबंध आंतरिक व्यापार की तुलना में अधिक सुदृढ़ है। यह देखने के लिए कि क्या यह अंतर काफी महत्वपूर्ण और कारणपूर्वक आनुषंगिक भी है इसमें और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है।

सारणी 6: अंतर-राज्य व्यापार में राज्यों का हिस्सा एवं उनके निवल निर्यात

राज्य	निर्यात	राज्य	आयात	राज्य	निवल निर्यात
MH	15.7	MH	13.7	HR	26.1
GJ	11.3	TN	7.8	GJ	20.1
HR	9.4	UP	7.8	OD	6.6
TN	8.4	KA	7.3	MH	5.0
KA	7.0	GJ	7.1	DEL	2.6
DEL	6.0	HR	6.9	TN	2.2
UP	5.6	DEL	5.7	CG	1.6
WE	4.0	WE	4.8	JH	0.3
RJ	3.8	RJ	4.7	AP	-1.2
AP	3.6	TE	4.7	KA	-1.3
PUN	3.2	AP	3.7	WE	-4.9
TE	3.0	PUN	3.7	RJ	-6.7
MP	2.4	MP	3.6	PUN	-7.0
OD	2.3	KE	3.1	UP	-9.6
JH	1.8	BH	2.0	MP	-10.4
CG	1.6	OD	1.9	TE	-14.7
KE	0.8	JH	1.7	KE	-20.1
BH	0.2	CG	1.6	BH	-23.6

नोट: 1. गैर-जीएसटी माल को छोड़कर माल और सेवा का अंतर-राज्य व्यापार
2. निर्यात और आयात उनके संबंधित कुल योग की प्रतिशतता में है; निवल निर्यात जीएसडीपी का हिस्सा है।

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण के आकलन जीएसटी के आंकड़ों पर आधारित हैं।

चित्र 5. राज्यों का सकल और निवल अंतर-राज्य व्यापार

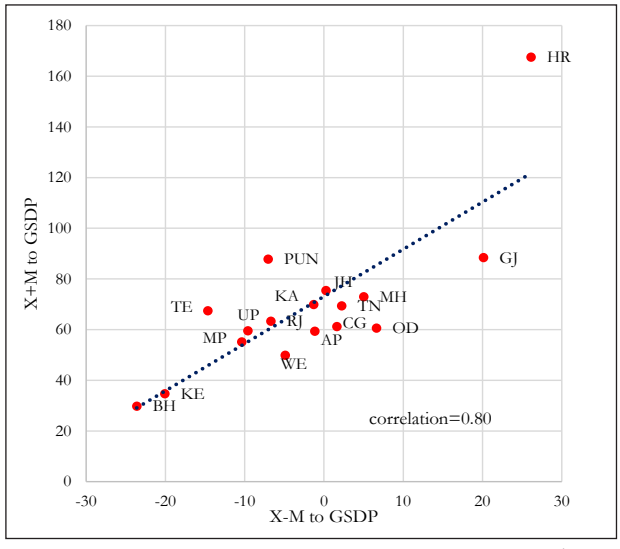

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण के आकलन जीएसटी के आंकड़ों पर आधारित हैं।

चित्र 6. राज्यों के अंतर-राज्य निर्यात और आयात

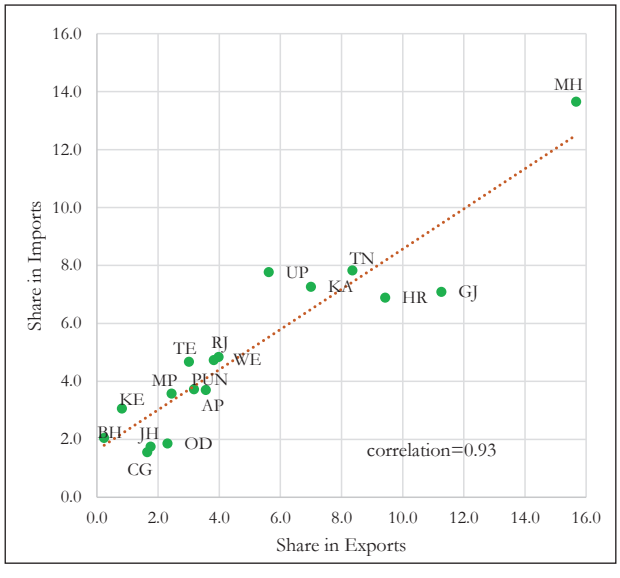

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण के आकलन जीएसटी के आंकड़ों पर आधारित हैं।

चित्र 7: राज्यों का आंतरिक सकल व्यापार और समृद्धि

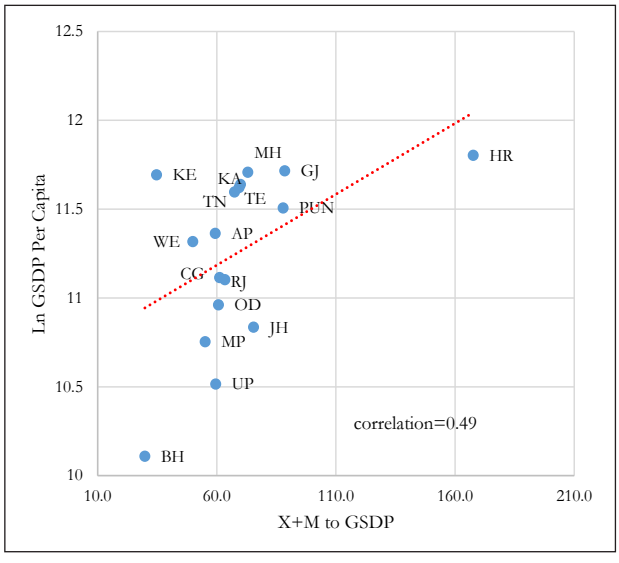

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण के आकलन जीएसटी के आंकड़ों पर आधारित हैं।

व्यापार के सर्वश्रेष्ठ निष्पादक: भारतीय निर्यात समानतावादी अपवादात्मकता

2.30 अधिकतर मुद्रित दस्तावेजों में निर्यातों के सर्वेश्रेष्ठ निष्पादकों के उभरने के प्रमाण दिए गए हैं – निर्यात के सर्वश्रेष्ठ निष्पादक वे फर्में हैं जो असंगत रूप से निर्यातों के बड़े हिस्से में भागीदार हैं। उदाहरण के लिए 32 देशों के नमूने में, फ्रायड और पाइरोला (2013) ने यह पाया कि शीर्ष 1 प्रतिशत निर्यातक फर्में कुल निर्यातों में 50% से भी अधिक की भागीदार हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया जाता है कि इस बड़प्पन को पाने और पोषित करने से निर्यातों का क्षेत्रीय संघटन उत्प्रेरित होता है और दूसरों पर बढ़त हासिल करने में और दीर्घकालीन संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलती है। यह और अधिक परंपरागत शूमाकरी विचार से विपरीत है जिसमें लघुता, विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमों, के विचार पर बल दिया गया है।

2.31 अब तक, भारत के लिए ऐसा कोई विश्लेषण संभव नहीं हो पाया है क्योंकि फर्म स्तर पर निर्यात के आंकड़ों को तैयार करना कठिन कार्य है। (सिद्धान्ततः, डीजीसीआईएच और सीमा शुल्क विभाग के पास ये आंकड़े होते हैं परन्तु इन्हें व्यवस्थित रूप में संकलित नहीं किया गया है या अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है।) तथापि, जीएसटी के नए आंकड़ों के फलस्वरूप, फर्म स्तर में निर्यातों के आंकड़ों को तैयार करना संभव हो गया है।

2.32 हम निर्यातों के फर्म-स्तर पर संकेंद्रण पर निकाले निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं और इन्हें दूसरे बड़े देशों के आंकड़ों के साथ तुलना करते हैं। (चित्र 8)। परिणाम अत्यधिक आश्चर्यजनक हैं। भारत में फर्मों द्वारा निर्यात का संकेंद्रण अमरीका, जर्मनी, ब्राजील या मैक्सिको[11] की तुलना में काफी कम है। उदाहरण के लिए:

- शीर्षस्थ 1 प्रतिशत फर्में ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको और अमरीका में क्रमशः 72, 68, 67 और 55% निर्यात की भागीदार है लेकिन भारत में यह भागीदारी केवल 38% है;
- इन देशों में शीर्षस्थ 5 प्रतिशत 91, 86, 91 और 74% की भागीदार हैं, जबकि भारत में इनकी 59% भागीदारी है; और
- इन देशों में शीर्षस्थ 25% फर्में 99, 98, 99 और 93 प्रतिशत की भागीदार हैं जबकि भारत में इनकी भागीदारी 82% की है।

भारत में 82 प्रतिशत की तुलना में उन देशों में शीर्ष 25 प्रतिशत फर्म 99, 98, 99 और 93 प्रतिशत के लिए

चित्र 8: संचयी निर्यात हिस्से के अनुसार शीर्ष निर्यातक प्रतिशतता

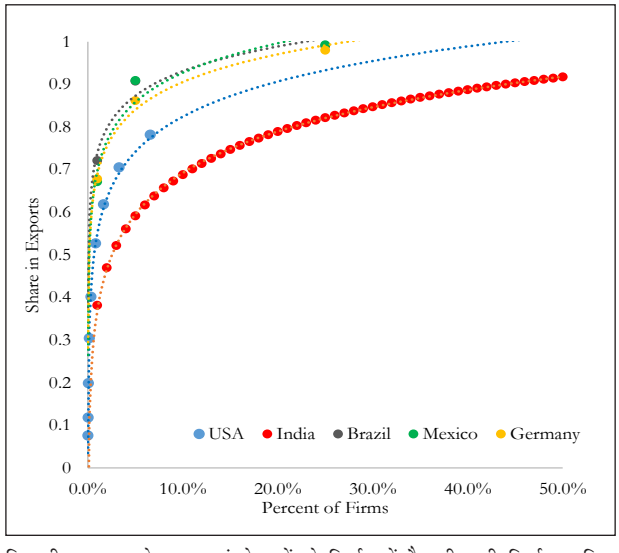

टिप्पणी : भारत के माल एवं सेवाओं के निर्यात में गैर जीएसटी निर्यात शामिल नहीं है (जैसे कि पेट्रोलियम)

स्रोत: सर्वेक्षण की गणनाएं, जीएसटी डाटा, वर्ल्ड बैंक एक्सपोर्ट डायनामिक डाटाबेस एवं यूएस सेंसस पर आधारित हैं।

11 पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों को न तो ब्राजील, मैक्सिको और जर्मनी के आंकड़ों में और न ही भारत के आंकड़ों में शामिल किया गया है। तथापि, अमरीका के आंकड़ों (अमरीकी जनगणना के अनुसार) में तेल और गैस उत्खनन में लगी कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है।

उत्तरदायी रहीं।

2.33 इसमें एक चेतावनी है जो असमान भारतीय वितरण को स्पष्ट करने में मदद कर सकती है: अन्य देशों से भिन्न रूप में भारतीय आंकड़ों में सेवाओं का निर्यात शामिल होता है, जहां एकाग्रता अनुपात विनिर्माण की तुलना में बहुत ही कम रहता है।

2.34 ऐसे एक ''समानतावादी'' भारतीय निर्यात अवसंरचना की निहितताएं अस्पष्ट हैं। पहले उद्धृत किया गया साक्ष्य सर्वश्रेष्ठ निष्पादकों के पक्ष में तर्क देता है, क्योंकि वे ऊर्जावान होती हैं और उनके विस्तार का अन्य फर्मों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है। लेकिन एकाग्रता के अवरोध ी-प्रतिस्पर्धा सहित और नुकसान भी हो सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की अनौपचारिकता

2.35 अंततोगत्वा, जीएसटी आंकड़ों ने नए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिकता/अनौपचारिकता के परिमाण की एक बेहतर रूप से पुन: जांच करने की गुंजाइश देता है।

2.36 अनौपचारिकता अथवा इसके बजाय औपचारिकता को कम से कम दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है।[12] पहला जब फर्में, कर्मचारियों को किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करा रही हों। भारत में सरकार अपने कर्मचारियों को यह उपलब्ध करवाती है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), पेंशन और भविष्य निधियों के संबंध में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को यह उपलब्ध करवाती है; तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) चिकित्सा लाभों के संबंध में उपलब्ध करवाती है।

2.37 ऐसे उद्योगों, जो 20 से अधिक कामगारों को नियोजित करते हैं और जिनका मासिक पारिश्रमिक/वेतन ₹ 15,000 से कम होता है; के लिए ईपीएफओ अंशदान अनिवार्य होता है। उस स्तर से ऊपर, अंशदान स्वैच्छिक होता है। कुल सक्रिय सदस्यों (जिनके लिए नियोक्ता द्वारा मासिक अंशदान जमा किया जाता है) के 86 प्रतिशत ₹ 15,000 से कम अर्जित करते हैं तथा लगभग 98 प्रतिशत ने 'भविष्य निधि-पेंशन' विकल्प के समुच्चय का चुनाव किया है। ऐसी फर्मों जो 10 से अधिक कामगार नियोजित करती हैं तथा इन फर्मों में कामगारों का मासिक पारिश्रमिक/वेतन ₹ 21,000 से कम हो, के लिए ईएसआईसी अंशदान अनिवार्य है।

2.38 औपचारिकता की दूसरी परिभाषा यह है जब फर्में निवल कर का हिस्सा होती हैं। चूंकि हमारे पास जीएसटी पर नए आंकड़े हैं तो हम जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत होने वाली फर्मों के रूप में कर औपचारिकता को परिभाषित करेंगे।

2.39 इन परिभाषाओं के आधार पर हम संगठित क्षेत्र की फर्मों, कुल कारोबार, कर-देयताओं भुगतान किए गए कर, और भुगतान रजिस्टर की महत्तता का अनुमान लगा सकते हैं। निम्नलिखित तालिका 7, सामाजिक सुरक्षा तथा जीएसटी की प्रचलित प्रवृत्ति के भिन्न-समिश्रण हेतु इन सभी चर वस्तुओं के एक 2X2 मैट्रिक्स को दर्शाती है। इस तालिका में हम उस सेल (प्रकोष्ठ) का विस्तृत ब्यौरा देने के लिए, जहां कोई फर्म शुद्ध कर अथवा सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा नहीं रही है तथा जिसका वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपए की जीएसटी की सीमा से कम है, देने के लिए एनएसएसओ के 73वें सर्वे राउंड का उपयोग करते हैं; यह इस रूप में पूरी तरह से अनौपचारिकता-प्रकोष्ठ है कि उनमें से फर्में कर और शुद्ध सामाजिक सुरक्षा से बाहर हैं।

2.40 इसके अतिरिक्त प्रमुख निष्कर्ष हैं:

- लगभग 0.6 प्रतिशत फर्में, जो कुल कारोबार के 38 प्रतिशत, निर्यात के 87 प्रतिशत, तथा जीएसटी देयता के 63 प्रतिशत हेतु उत्तरदायी हैं, वे ऐसी फर्में हैं जिन्हें कर तथा वास्तविक सामाजिक सुरक्षा दोनों में होने के कारण संगठित क्षेत्र का ''प्रमुख सदस्य'' कहा जा सकता है।

- वहीं दूसरी ओर, 87 प्रतिशत फर्म, जो कुल का. रोबार के 21 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है, पूरी तरह अनौपचारिकता वाली हैं, तथा कर और वास्तविक सामाजिक सुरक्षा दोनों से बाहर है।

- लगभग 12 प्रतिशत फर्म, जो कुल कारोबार के 41 प्रतिशत, निर्यात के 13 प्रतिशत एवं कर देयताओं के 37 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे वास्तविक कर में आती हैं लेकिन वास्तविक सामाजिक सुरक्षा में नहीं। ये फर्में दोनों वास्तविकताओं में आने वाली फर्मों से बहुत छोटी हैं क्योंकि उनका औसत कारोबार और औसत कर-दर कम है, अर्थात् 16.3 प्रतिशत की तुलना में 7 प्रतिशत है।

- अंतत: 0.1 प्रतिशत से कम फर्में, जो कुल कारोबार के लगभग 14 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं, वास्तविक सामाजिक सुरक्षा में आती हैं, वास्तविक जीएसटी में नहीं। ये अधिकांशत: वे फर्में हैं जो जीएसटी से छूट प्राप्त क्षेत्रों (जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली) में है, हालांकि बहुत

---

12 औपचारिकता/अनौपचारिकता की अनेकों भिन्न-भिन्न परिभाषाएं हैं। इनमें से अधिक रूप से एक समान परिभाषाएं हैं:

13 ब्यौरा 3 अनुबंध 1 में दिया गया है।

14 एनएसएसओ ने भारत में जुलाई 2015 और जून 2016 के मध्य असंगठित गैर कृषि उद्यम (निर्माण को छोड़कर) का एक सर्वे किया।

सारणी 7 भारतीय अर्थव्यवस्था की औपचारिकता

ईपीएफओ/ईएसआईसी में नामांकन																		
		फर्मों/उद्यमों की संख्या (लाखों में)			कुल कारोबार का हिस्सा			कर देयताओं में हिस्सा			कर दर (%)			निर्यात में हिस्सा			कर्मचारी (करोड़ में)		
		हां	नहीं	कुल	हां	नहीं	कुल	हां	नहीं	कुल	हां	नहीं	कुल	हां	नहीं	कुल	हां	नहीं	कुल
जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत	हां	4.0	88.3	92.3	38.4	41.0	79.3	63.5	36.5	100.0	16.3	7.0	11.0	86.7	13.3	100.0	4.5	6.7	11.2
	नहीं	0.9	619.8	620.6	13.8	6.9	20.7	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	1.5	9.2	10.8
	कुल	4.9	708.1	712.9	52.2	47.8	100.0	63.5	36.5	100.0	-	-	-	86.7	13.3	100.0	6.0	15.9	22.0

टिप्पणी:

1. ईपीएफओ तथा ईएसआईसी के आंकड़े अप्रैल, 17 से नवम्बर, 17 तक प्राप्त अंशदानों (सक्रिय अभिदाताओं) पर आधारित हैं। वर्तमान विश्लेषण के लिए, औपचारिक पैरॉल की निचली सीमा ली गई है। निचली सीमा, अप्रैल-नवम्बर, 2017 में अभिदाताओं की औसत संख्या (6.0 करोड़) है, वहीं ऊपरी सीमा अप्रैल-17 से नवम्बर, 17 तक शु रू होने वाले किसी माह में अभिदाताओं की अधिकतम संख्या (7.1 करोड़) है।
2. ईपीएफओ तथा ईएसआईसी का मिलान श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) का प्रयोग करते हुए किया जाता है। ईएसआईसी में एलआईएन को छोड़कर सभी प्रविष्टियों को इस विश्लेषण से बाहर रखा गया है ताकि दोहरी-गण ाना की संभावना से बचा जा सके। एलआईएन के बिना वाले ऐसे उद्यम, औसत रूप से 25-30 लाख अभिदाताओं हेतु उत्तरदायी हैं।
3. ऐसे उद्यमों के लिए जो ईपीएफओ तथा ईएसआईसी दोनों में हैं, इन दोनों के मध्य अधिकतम नियोजन को एक उपयुक्त संख्या के रूप में लिया गया है।
4. ईएसआईसी ने जनवरी, 2017 से फर्मों के कवरेज को संशोधित किया। दूसरे अनिवार्य अंशदान के लिए पारिश्रमिक/वेतन सीमा को 15,000 प्रतिभार से बढ़ाकर 21,000 प्रतिमाह किया।
5. केन्द्र सरकारी पैरॉल में रक्षा कार्मिक शामिल नहीं है।
6. गैर-कृषि कार्यबल का अनुमान एनएसएसओ के नियोजन-गैर नियोजन सर्वेक्षण (68वें राउंड), 2011-12 पर आधारित हैं।
7. जुलाई, 2015 और जून, 2016 के मध्य भारत में असंगठित गैर-कृषि उद्यम (विनिर्माण को छोड़कर) पर एनएसएसओ के 73वें राउंड सर्वेक्षण का प्रयोग पूरी तरह अनौपचारिक पेरॉल/नियोजन का अनुमान करने के लिए किया गया है, अर्थात् फर्मों के पेरॉल न तो ईपीएफओ/ईएसआईसी में नामांकित हैं और न ही जीएसटी में।
8. अधिक जानकारी के लिए अनुबंध II देखें।
9. एनए: उपलब्ध नहीं

स्रोत: सर्वेक्षण की गणनाएं जीएसटी, ईपीएफओ, ईएसआईसी और एनएसएस डाटा पर आधारित हैं।

सी ऐसी फर्में हैं जो जीएसटी से बाहर लगती हैं, भले ही वे जीएसटी में आने वाले क्षेत्रों में हों। एक संभावित कारण यह है कि वे जीएसटी की सीमारेखा से नीचे रहती है, लेकिन वहां कुछ अन्य भी हो सकती है।

गैर-कृषि पे-रोल

2.41 अब औपचारिक और अनौपचारिक गैर-कृषि भुगतान रजिस्टर पर गौर करते हैं।[15] हम सामाजिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से औपचारिक गैर-कृषि भुगतान रजिस्टर का लगभग 7.5 करोड़ अथवा गैर-कृषि कार्यबल के 31 प्रतिशत पर अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान में सरकारी गैर-कृषि भुगतान रजिस्टर (केन्द्र और राज्य) शामिल है, जिसका हम मोटे तौर पर 1.5 करोड़ (रक्षा कार्मिकों को छोड़कर) अनुमान लगा सकते हैं।

2.42 सरकारी कर्मचारियों और साथ ही गैर-कृषि भुगतान रजिस्टर को छोड़कर कर-आधारित संख्या जो वर्तमान में जीएसटी से बाहर के क्षेत्रों, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा में आती हैं, चाहे इन क्षेत्रों की फर्मों ने अन्य कारणों से पंजीयन किया है, वे अनुमानित गैर-कृषि भुगतान रजिस्टर का हिस्सा होंगी।

2.43 इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और सरकारी कर्मचारियों को वापस जोड़ते हुए हम एक कर-परिभाषा से औपचारिक गैर-कृषि भुगतान रजिस्टर का अनुमान 12.7 मिलियन लगाते हैं। इसका आशय है कि गैर-कृषि कार्यबल (240 मिलियन) का लगभग 53 प्रतिशत सुव्यवस्थित (संगठित) क्षेत्र में है।

2.44 इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि ये अनुमान उद्यम-आधारित हैं न कि रोजगार की परिवार-आधारित परिभाषाऐं हैं तथा ये कृषि क्षेत्र को भी बाहर रखती हैं। इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकलता है। औपचारिक गैर-कृषि भुगतान रजिस्टर के ये अनुमान जो सामाजिक सुरक्षा की परिभाषित औपचारिकता के मामले में 31 प्रतिशत की सीमा से शुरू होने वाले हैं तथा कर-परिभाषित औपचारिकता के मामले में 53 प्रतिशत पर हैं, ये औपचारिक क्षेत्र के गैर-कृषि भुगतान रजिस्टर के आकार के बारे में वर्तमान धारणाओं से बहुत अधिक है।

निष्कर्ष

2.45 सच तो यह है कि हमें विश्लेषण के संबंध में कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। हमसे कुछ ऐसी औपचारिक फर्में छूट सकती हैं जो जीएसटी और/अथवा ईएसआईसी/ईपीएफओ का अनुपालन नहीं कर रही हैं, हालांकि हमारा यह विश्वास है कि यह श्रेणी छोटी ही होगी। 73वें दौर के बाद से कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो संभवत: इस विश्लेषण में शामिल नहीं की गई होंगी। आगे और अनुसंधान करने से ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और प्रकाश डालने में मदद मिलेगी।

---

[15] एनएसएस 68वां राउंड ऑफ एम्प्लायमेंट एंड अनएम्पलोयमेंट सर्वे 2011-12 के अधिकतम विस्तृत सर्वे के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की अनौपचारिकता के बहुत कम अनुमान लगाए गए हैं।